रजिस्ट्री सं० डी एल (एन)-04/0007/2003—05

REGISTERED NO. DL-(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 7—मई 13, 2005 (वैशाख 17, 1927)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 7—MAY 13, 2005 (VAISAKHA 17, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	483
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	449
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	615
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	481
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	249
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1487
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	129
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

Page

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 483

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 449

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 615

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations .. *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). *

Page

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 481

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 249

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 1487

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 129

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .. *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2005

संकल्प

सं० ई० 4(3)/2003-रा०भा० (वि०वि०) :--भारत सरकार ने इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 2000 के संकल्प संख्या ई० 4(2)/98-रा०भा० का अधिक्रमण करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। विधि और न्याय मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति में विधायी विभाग तथा विधि कार्य विभाग शामिल होंगे। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. विधि और न्याय मंत्री

उपाध्यक्ष

2. विधि और न्याय राज्य मंत्री

सदस्य

3. श्री गांधी आजाद सदस्य (राज्य सभा)
4. श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य (राज्य सभा)
5. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, सदस्य (लोक सभा)
6. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सदस्य (लोक सभा)
7. श्री गुरूदास कामत, सदस्य (लोक सभा) संसदीय राजभाषा
8. श्रीमती सरला माहेश्वरी, सदस्य (राज्य सभा) समिति के प्रतिनिधि
9. श्री मोहन प्रकाश दुबे केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि
10. डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रतिनिधि
11. श्री राम भगत पासवान
12. श्री जगदीश पीयूष

सदस्य

13. श्री राधाकान्त भारती
14. श्री दीवान सतपाल चोपड़ा
15. प्रोफेसर पी० एच० सेतुमाधव राव
16. डॉ० भगवान शरण भारद्वाज
17. श्री अमर नाथ तिवारी
18. सचिव, विधि कार्य विभाग
19. सचिव, विधायी विभाग
20. सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार राजभाषा विभाग
21. अपर सचिव (प्रशा०) विधि कार्य विभाग
22. अपर सचिव (प्रशा०), विधायी विभाग
23. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

सदस्य सचिव

24. संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड)

2. समिति का कार्य निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना होगा :—

राजभाषा सम्बन्धी संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियमों में विहित सिद्धान्तों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीति निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन तथा मंत्रालय/विभागों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के सम्बन्ध में सलाह देना।

3. कार्यकाल

(i) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा परन्तु :—

इस समिति में नाम निर्दिष्ट संसद सदस्य, संसद के सदस्य न रह जाने पर उसी समय से इस समिति के भी सदस्य नहीं होंगे।

(ii) अवधि समाप्त होने से पहले रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य, शेष रही अवधि के लिए सदस्य होगा।

4. साधारण

(i) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु यह अपनी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है ;

(ii) गैर सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनको स्वीकार्य दरों पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा । उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति के सदस्यों को स्वीकार्य दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति:— राष्ट्रपति सचिवालय / प्रधान मंत्री कार्यालय / मंत्रिमण्डल सचिवालय / संसदीय कार्य मंत्रालय / लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय / भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक / संघ लोक सेवा आयोग / योजना आयोग / निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जैड० एस० नेगी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2005

संकल्प

सं० एफ-5(1) पी० डी०/2003—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि 1 जनवरी, 2004 से केन्द्रीय सरकार की सेवा में भर्ती किए गए सभी नए कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-एफ 5/7/2003-ई सी बी एण्ड पी और दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 के अधीन घोषित नई पेंशन योजना (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) के अभिदाताओं के खाते में जमा कुल राशियों पर दिनांक 12 मार्च, 2003 के समसंख्यक संकल्प के अधीन की गई घोषणा के अनुसार 1 जनवरी, 2004 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए (आठ प्रतिशत) की वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा।

2. दिनांक 22 जुलाई, 2004 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार उक्त योजना के अभिदाताओं के खाते में जमा कुल राशियों पर वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) की वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा ।

3. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० एस० चौहान, उप सचिव (बजट)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2005

संकल्प

सं० एफ-3-21/2004-यू-3—भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के नियम 15 के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 6 सितम्बर, 2004 के अपने समसंख्यक संकल्प द्वारा श्री डी० बंधोपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष, सामाजिक विकास परिषद् और पूर्व-सचिव भारत सरकार को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के कार्य की समीक्षा करने के लिए इसके कार्यों की जांच करने तथा इनके संबंध में रिपोर्ट करने हेतु नियुक्त किया था । इस एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छः महीने का समय दिया गया था ।

2. जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2002-03 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । "इस एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति ने दो अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । पहली "स्वतंत्रता की ओर परियोजना" के खण्डों को प्रकाशित न करने/प्रकाशन को रोकने" और दूसरे उन विद्वानों द्वारा जिन्हें परिषद् ने 1995-96—2000-2001 के दौरान फेलोशिप दी थी, अनुसंधान कार्य प्रस्तुत न किए जाने की जांच करने के संबंध में है ।

3. क्योंकि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की समीक्षा से संबंधित अत्यधिक कार्य अभी किया जाना शेष है इसलिए एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अपना कार्यकाल 31-07-2005 तक बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया है । समीक्षा समिति के अनुरोध पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने श्री बंधोपाध्याय की एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति का कार्यकाल 31 जुलाई, 2005 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य सचिव को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

दिनांक 23 मार्च 2005

संकल्प

सं० एफ० 6-20/2004-यू-3—उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के संघम शासन के नियम 5 तथा नियमों और उपनियमों के अनुसरण में भारत सरकार ने 8 अक्तूबर, 2004 के अपने संकल्प सं० एफ० 44011/18/2004-ई० 1 के द्वारा श्री डी० बंधोपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष सामाजिक विकास परिषद् और पूर्व-सचिव भारत सरकार को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के कार्य की समीक्षा करने के लिए, इसके कार्यों की जांच करने तथा इनके संबंध में रिपोर्ट करने हेतु नियुक्त किया था। इस एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छः महीने का समय दिया गया था।

2. इस एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 'भारतीय सभ्यता का अध्ययन' परियोजना पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है।

3. क्योंकि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की समीक्षा से संबंधित अत्यधिक कार्य अभी किया जाना शेष है, इसलिए एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अपना कार्यकाल 31-07-2005 तक बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। समीक्षा समिति के अनुरोध पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने श्री बंधोपाध्याय की एकल-व्यक्ति समीक्षा समिति का कार्यकाल 31 जुलाई, 2005 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के अध्यक्ष और निदेशक को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 अप्रैल 2005

संकल्प

सं० 11015(2)/2004—हिन्दी, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प सं० 11015(2)/98-हिन्दी, दिनांक 11 सितम्बर, 2000 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निश्चय किया है :—

1. गठन

अध्यक्ष

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य)

सदस्य

1. डॉ० राम चन्द्र डोम, संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री रघुराज सिंह शाक्य, संसद सदस्य (लोक सभा)
3. श्रीमती जमना देवी बारूपाल, संसद सदस्य (राज्य सभा)
4. श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

सदस्य

5. श्री गोपाल कृष्ण फरलिया,
उप-प्रधान, के० स० हि० परिषद
डी-2/2205, वसंत कुंज,
नई दिल्ली-110070

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधि

सदस्य

6. श्री वी० आर० रास्ते,
सचिव
मिजोरम हिन्दी प्रचार सभा,
कुलीकौन, आईजोल-796005 (मिजोरम)

संबंधित मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

7. श्री पी० एल० कोठारी, वरिष्ठ पत्रकार
353, लेन नं० 1, धर्मपुर, देहरादून,
उत्तरांचल
8. श्री शैलेश शर्मा, चीफ ऑफ ब्यूरो, लोकमत
बी-82, सैक्टर-36,
नोएडा-201301
9. श्री एस० एन० विनोद,
कार्यकारी सम्पादक, नवभारत, नागपुर,
बी-1, अवध जानकी निवास, श्री साईं नगर,
मानेवाडा रिंग रोड, पोस्ट भगवान नगर,
नागपुर-27
10. श्री प्रकाश दुबे,
सम्पादक, दैनिक भास्कर, नागपुर,
303, उत्कर्ष शिखर अपार्टमेंट,
मांउट रोड, सदर, नागपुर-440001

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

11. डा० पांडे शशि भूषण शीतांशु,
'साईकृपा', हाउस नं० 58, लाल एवेन्यू,
पोस्ट ऑफिस:रेयॉन एण्ड सिल्क मिल,
अमृतसर-143005

12. प्रो० मधुसदन गजानन मुले,
क्विक कॉम्प्युटर, प्राफेसर कॉलोनी चौक,
टी०व्ही०, सेंटर रोड,
अहमदनगर, महाराष्ट्र

13. श्री विकास ज्ञानेश्वर वाघ,
वाघ डेअरी, जामनेर रोड, पाचोरा,
जि० जलगांव-424201

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

सदस्य

14. श्री मोहन सिंह, (लोकसभा)

15. श्री जी० वेंकटस्वामी, (लोकसभा)

सरकारी सदस्य

सदस्य

1. सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

2. सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य–सचिव

3. संयुक्त सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

सदस्य

4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

5. सलाहकार, सौर ऊर्जा केन्द्र

6. प्रबंध निदेशक, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था समिति

7. कार्यकारी निदेशक, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट)

2. कार्य

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और संबद्ध मामलों पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को सलाह देगी ।

3. कार्य अवधि

समिति का कार्यकाल उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, परन्तु

1. समिति में नामजद संसद सदस्य उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

2. समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहें, जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं ।

3. यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि से कोई रिक्ति है, तो इस रिक्ति से नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि तक सदस्य रहेगा ।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन आवश्यकतानुसार समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान में भी कर सकती है ।

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा०भा० (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित नियमित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, प्रधान सचिव कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार (वाणिज्य, निगम एवं विविध), राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सुनिल खत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, 23rd March, 2005

RESOLUTION

No. E. 4(3)/2003-O.L.(L.D.)—In supersession of this Department's Resolution No. E. 4(2)/98-O.L. dated 11-7-2000, the Government of India has decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Law and Justice. The reconstituted Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Law and Justice will consist of Legislative Department and Department of Legal Affairs. The Composition of the Samiti will be as fallows :-

Chairman

1. Minister of Law and Justice

Deputy Chairman

2. Minister of State for Law and Justice

Members

3. Shri Gandhi Azad, Member, Rajya Sabha
4. Shri Suresh Bhardwaj, Member, Rajya Sabha
5. Shri Devendra Prasad Yadav, Member, Lok Sabha
6. Shri Bhanu Pratap Singh Verma, Member, Lok Sabha
7. Shri Gurudas Kamat, Member, Lok Sabha and representative of the Committee of Parliament on Official Language
8. Smt. Sarla Maheshwari, Member, Rajya Sabha and representative of Committee of Parliament on Omcial Language
9. Shri Mohan Prakash Dube, representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad
10. Dr. Rammurti Tripathi, representative of Hindi Sanitya Sammelan, Prayag
11. Shri Ram Bhagat Paswan
12. Shri Jagdish Piyush
13. Shri Radhakant Bharti
14. Shri Diwan Satpal Chopra
15. Professor P. H. Setumadhav Rao
16. Dr. Bhagwan Shran Bhardwaj
17. Shri Amar Nath Tiwari
18. Secretary, Department of Legal Affairs
19. Secretary, Legislative Department
20. Secretary and Hindi Adviser to the Government of India, Department of Official Language
21. Additional Secretary (Admn.) Department of Legal Anairs
22. Additional Secretary (Admn.) Legislative Department
23. Joint Secretary, Department of Official Language, MHA

Member Secretary

24. Joint Secretary & Legislative Counsel, Official Languages Wing

2. The functions of the Samiti will be to advise the Central Government on matters relating to :-

Tender advise for implementation of the principles relating to Official Language as given in the Constitution, the Official Language Act and Rules, the policy decisions of the Kendriga Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry/Departments.

3. TENURE : The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution, provided that,

(i) A Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament; and

(ii) Members appointed against mid-term vacancies shall be Members for the remaining period of the tenure of the Samiti.

4. GENERAL : (i) The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold the meetings at any other station also; and

(ii) The Non-Official Members will be paid travelling allowance by shortest route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance as admissible to members of a High Powered Committee for attending the meetings of the Samiti.

ORDER

Ordered that a copy of this Resulution be communicated to :-

President's Secretariat/Prime Minister's Office/ Cabinet Secretariat/Ministry of Parliamentary Affairs/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/C.A.G. of India/U.P.S.C./Planning Commission/Director of Audit, Central Revenue, New Delhi, and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Z. S. NEGI
Additional Secretary

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 21st April 2005

RESOLUTION

No. F. 5(1)-PD/2003—It is announced for general information that accumulations at the credit of the subscribers to the New Pension System (Defined Contribution Pension Scheme) for all new recruits to the Central Government service with effect from January 1, 2004 (except the armed forces in the first stage) announced vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Notification F. No. 5/7/2003-ECB & PR, dated December 22, 2003, shall carry interest at the rate of 8% (eight per cent) per annum for the period January 01, 2004 to March 31, 2004 as announced vide Resolution of even number dated March 12, 2003.

2. For the financial year 2004-2005, accumulations at the credit of subscribers to the said subscribers shall carry interest at the rate of 8% (eight per cent) per annum as announced vide Resolution of even number dated July 22, 2004.

3. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. S. CHAUHAN, Dy. Secy. (Budget)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 14th March 2005

RESOLUTION

No. F. 3-21/2004-U. 3.—In pursuance of Rule 15 of the Indian Council of Historical Research (ICHR), Government of India vide its Resolution of even number dated the 6th September, 2004 had appointed Shri D. Bandyopadhyay, Executive Chairperson, Council for Social Development and former Secretary to the Government of India to review the work of ICHR, to hold enquiry into the affairs thereof and to report thereon. The one-man Review Committee was given a period of six months to submit its report.

2. The one-man Review Committee has already submitted two interim reports, one on "non-publication/stoppage of volumes of 'Towards Freedom' Project" and the other on "probe into non-submission of research work by scholars, who were given fellowship by the Council during 1995-96—2000-2001, as highlighted in the Report of the C & AG 2002-2003".

3. As there is a Considerable amount of work remains to be done in connection with the Review of ICHR, the non-man Review Committee has asked the Ministry of Human Resource Development to consider extending its tenure up to 31-07-2005. After considering the request of the Review Committee, the Government of India have decided to extend the tenure of the one-man Review Committee of Shri D. Bandyopadhyay further, up to the 31st of July, 2005.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Member-Secretary of ICHR for compliance.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

The 23rd March 2005

RESOLUTION

No. F. 6-20/2004-U.3—In pursuance of Rule 5 of the Memorandum of Association and Rules and Bye-laws of the Indian Institute of Advanced Study (IIAS), Shimla, Government of India vide its Resolution No. A.44011/18/2004-E.1 dated the 8th October, 2004 had appointed Shri D. Bandyopadhyay, Executive Chairperson, Council for Social Development and former Secretary to the Government of India to review the work of IIAS, to hold enquiry into the affairs thereof and to report thereon. The one-man Review Committee was given a period of six months to submit its report.

2. The one-man Review Committee has already submitted an interim report on the Project on 'Study of Indian Civilization' at the IIAS, Shimla.

3. As there is a considerable amount of work remains to be done in connection with the Review of IIAS, the one-man Review Committee has asked the Ministry of Human Resource Development to consider extending its tenure up to 31-7-2005. After considering the request of the Review Committee, the Government of India have decided to extend the tenure of the one-man Review

Committee of Shri D. Bandyopadhyay further, up to the 31st of July, 2005.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Director of IIAS, Shimla for Compliance.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110003, the 12th April, 2005

RESOLUTION

No. 11015(2)/2004-Hindi.—In supersession of the Ministry of Non-Conventional Energy Sources Resolution No. 11015(2)/98-Hindi, dated 11th September, 2000, as amended from time to time, the Govt. of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Non-Conventional Energy Sources as follows :—

1. Composition

Chairman

Minister of State for Non-Conventional Energy Sources (independent charge)

NON-OFFICIAL MEMBERS

MPs nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

Members

1.	Dr. Ramchandra Dom.	Lok Sabha
2.	Shri Raghuraj Singh Shakya	-do-
3.	Smt. Jamna Devi Barupal	Rajya Sabha
4.	Shri Laxminarayan Sharma	-do-

Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad Representative

Member

5. Shri Gopal Krishna Farliya
Deputy-Chairman,
D-2/2205, Vasant Kunj,
New Delhi-110070

Akhil Bharatia Hindi Sanstha Sangh Representative

Member

6. Shri V. R. Ralte,
Secretary,
Mizoram Hindi Prachar Sabha,
Kulikon, Aizawl-796005 (Mizoram)

Members nominated by concerned Ministry

Members

7. Shri P. L. Kothari, Senior Journalist,
353, lane no. 1, Dharmpur, Dehradun,
Uttaranchal.

8. Shri Shilesh Sharma,
Chief of Bureau, Lokmat,
B-82, Sector-36,
Noida-201301

9. Shri S. N. Vinod,
Executive Editor, Nav Bharat, Nagpur,
B-1, Avadh Janki Nivas, Shri Sai Nagar,
Manewada Ring Road, Post Bhagwan Nagar,
Nagpur-27

10. Shri Prakash Dubey,
Editor, Dainik Bhaskar, Nagpur,
303, Utkarsh Shikhar Apartment,
Mount Road, Sadar, Nagpur-440001

Members nominated by Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs

Members

11. Dr. Pandey Shashi Bhushan Shitanshu,
'Saikripa', H. No. 58, Lal Avenue,
P.O. Rayon & Silk Mill,
Amritsar-143005

12. Prof. Madhusadan Gajanan Mule,
Quick Computer, Professor Colony Chowk,
T.V. Centre Road, Ahmadnagar, Maharashtra.

13. Shri Vikash Gyaneshwar Vagh,
Vagh Dairy, Jamner Road, Pachora,
Distt. Jalgaon-424201.

MPs nominated by Parliamentary Committee on Official Language

Members.

14.	Shri Mohan Singh,	(Lok (Sabha)
15.	Shri G. Venkatswami,	(Lok Sabha)

Official Members

Members

1. Secretary, Ministry of Non-Conventional Energy Sources
2. Secretary, Department of Official Language

Member-Secretary

3. Joint Secretary, MNES

Members

4. Joint Secretary, Department of Official Language
5. Adviser, Solar Energy Centre
6. Managing Director, Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.
7. Executive Director, C-Wet.

2. Functions ;

The Samiti shall advise the Ministry of Non-Conventional Energy Sources on matters relating to the progressive use of Hindi for official purpose.

3. Tenure :

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that :

(a) A Member of Parliament nominated to the Samiti shall ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and

(c) Members appointed against mid-term vacancies shall hold office only for the residual period of the three year's tenure.

4. General :

(a) The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also, if necessary.

(b) The non-official members of the Committee will be paid TA/DA for attending the meetings of the Committee in accordance with the guidelines contained in Deptt. of Official language O.M. No. II/20034/4/86-OL (A/2) dated 22-01-1987 and at the rates and rules prescribed by the Govt. of India and revised from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General (Commerce, Works and Miscellaneous), Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariats, Planning Commission, President's Secretariat, and all the Ministries/Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KHATRI, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005